

राजस्थान सरकार

गृह(ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक:पं.3(1)गृह-10/2022

जयपुर,दिनांक: 20/6/2024

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारी को उप निदेशक अभियोजन से अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (Pay Matrix L-20) के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के प्रति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है।

क्रं.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक	वि.वि.
01.	श्री ब्रह्ममान्द जोशी पुत्र श्री भागीरथ जोशी	अ.जा	01.04.2019	दिनांक 30.11.2022 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त

उपरोक्त चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के फलस्वरूप नोशनल परिलाभ रिक्ति की दिनांक से देय होंगे।

आज्ञा से,

— sd —
(रवि शर्मा)

शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि:सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव,राज्यपाल महोदय,राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव,माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,गृह,राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन,राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित अधिकारी.....द्वारा:- अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन,राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव,गृह(विधि)
राजस्थान,जयपुर